न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 15/597

1. हजारी आत्मज चतरा कौम मीणा निवासी ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली ।
2. रामजानकी पत्नी हजारा जाति मीणा निवासी ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

———अपीलान्ट

बनाम

1. कंवरा आत्मज चतरा जाति मीणा निवासी ग्राम सोरण तहसील हिण्डोली ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब हिण्डोली जिला बून्दी ।
3. कैली बाई पुत्री कंवरा पत्नी भंवर लाल जाति मीणा निवासी ग्राम गोवल्या तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री प्रेमशंकर गुर्जर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री सुनील गौतम, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलान्ट क्रम 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम हरमाली काखेडा तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में आराजी खसरा नम्बर 170 रकबा 03 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 05 बीघा, खसरा नम्बर 172 रकबा 02 बीघा, खसरा नम्बर 173 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 174 रकबा 02 बीघा 07 बिस्वा, खसरा नम्बर 1272 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 1273 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 1274 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 1275 रकबा 04 बीघा 04 बिस्वा कुल 09 कुल रकबा 23 बीघा 09 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें वादी का 3/4 हिस्सा व प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा है । इसी प्रकार ग्राम हरमाली का खेडा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 125 रकबा 02 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 125 रकबा 05 बीघा किता 02 रकबा 07

बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें वादी हजारी का 186/300 वादिनी रामजानकी का 89/300 व प्रतिवादी का 1/2 हिस्सा निहित है । वादी संख्या 1 प्रतिवादी सगे भाई है तथा वादी की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णित भूमियॉ पक्षकारान को अपने पिता चतराजी से विरासत में प्राप्त होने से पैतृक सम्पत्तियॉ है जिसमें हिस्से अनुसार काबिज काश्त है । प्रतिवादी कंवरा के काई सुलभी पुत्र नहीं होने व वृद्ध होने से वादीगण की सेवा परिचर्या कर रहे हैं तथा उसके हिस्से की भूमि को भी काश्त कर रहे है किन्तु प्रतिवादी के वृद्ध होने व वृद्धावस्था के कारण उसकी बौद्धिक क्षमता निरन्तर कमजोर हो रही जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग चुपके से प्रतिवादी कंवरा को बहकावे में लेकर उसके हिस्से की भूमियों को हडप करना चाहते हैं ।

3. अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रसत आराजी का हिस्से अनुसार बंटवारा किया जावे तथा स्वतंत्र खाते कायम कर राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम किया जावे तथा अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी भूमि प्रत्येक पक्ष के हिस्से में रखी जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के हिस्से की भूमि में जबरन कब्जा नहीं करे और न ही उक्त भूमि को रहन, बय एवं खुर्द–बुर्द करे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद को राजस्व लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.06.2015 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 से व्यथित होकर वादीगण अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने सीपीसी की पालना किये बिना उक्त वाद को लोक अदालत में निर्णित कर दिया । जबकि लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों को निर्णित किया जाता है जिसमें पक्षकारान द्वारा उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश करें परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारान द्वारा कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं किया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना के विरूद्ध निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं थी क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई लोक अदालत में सुनवाई होने के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं दी । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.08.2015 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर मालूम करने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए बिना सीपीसी की पालना किये निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है । अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीयात कायम नहीं हुई है और न ही साक्ष्य ली गई है । अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण द्वारा भूमि को रहन नहीं रखने और अपीलान्ट की भूमि पर कब्जा नहीं करने बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की है जबकि अपीलान्ट ने स्थायी निषेधाज्ञा की प्रार्थना भी की थी । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया है न ही बहस सुनी गई और न दस्तावेज पेश करने का समुचित अवसवर दिया गया है । लोक अदालत की कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा बाबत् विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया था जिसमें वादग्रस्त आराजी जो कि पक्षकारान के संयुक्त खाते में दर्ज है इसके विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता चाही थी । पत्रावली में प्रतिवादी क्रम 1 की ओर से जवाबदावा पेश किया गया था और वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र बाबत् अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सीपीसी पेश किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया है । पत्रावली जवाब सरकार में लम्बित थी और इसे लोक अदालत में रखा गया । लोक अदालत में वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 3 उपस्थित हुए हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने उसी दिन राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी प्राथमिक डिक्री में पक्षकारों के हिस्से को नहीं खोला है और न ही वादीगण के द्वारा पेश किये गये दस्तावेजात को प्रदर्श किया है । लोक अदालत में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही उनके द्वारा कोई विधिक राजीनामा ही पेश किया है । प्राथमिक डिक्री में सहखातेदारों के हिस्से को अंकित किया जाना अनिवार्य होता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों की पालना किये बिना ही प्राथमिक डिक्री पारित की गई है जो खारिज होने योग्य है ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.06.2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए नये सिरे से गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 31.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 10.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10.9.18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा